536   R 1016 - I-17

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल महोदय ग्वालियर म.प्र.

प्रकरण क्रमांक : 2 /2017 निगरानी

1- भगवान सिंह पुत्र श्री रूप सिंह

2- उमराव सिंह पुत्र रूप सिंह निवासीगण ग्राम हिनौती उदेशा, तहसील बटियागढ, जिला दमोह -- निगरानीकर्तागण

क्र. केo ... 30.3.17

बनाम

1- ललिसिंह पिता धौकल सिंह

2- फिलान सिंह पुत्र धौकल सिंह

3- मलाम सिंह पिता धौकल सिंह निवासीगण ग्राम हरदुआ जामशा, तहसील बटियागढ, जिला दमोह -- रेस्पोंडेन्टसगण

30-3-17

A.K. Agrawal

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म प्र भू राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश दिनांक 19.1.2017 एवं आगामी कार्यवाही के विरूद्ध प्रकरण क्रमांक 21 /2015-16 अ-6 ग्राम फतेहपुर न्यायालय नायब तहसीलदार बटियागढ (मण्डल फतेहपुर) के

===

श्रीमानजी,

प्रार्थीगण की निगरानी निम्नप्रकार प्रस्तुत है-

संक्षिप्त तथ्य-

1- यहकि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इसप्रकार है ग्राम फतेहपुर स्थितभूमि खसरा नं. 239, 285/1 रकवा क्रमशः 1.47, 0.73 हेक्टेयर कुल रकवा 2.20 हेक्टेयर भूमि आवेदकगण एवं अनावेदकगण क्र. 1 लगायत 3 के शामिल शरीक रूप से दर्ज थी। आवेदकगण द्वारा दिनांक 25.5.2015 को बटवारा का आवेदन देकर

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-1016-एक/2017 जिला दमोह भगवानसिंह विरूद्ध लालसिंह

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल उपस्थित। आवेदक के द्वारा नायब तहसीलदार बटियागढ़ मंडल फतेहपुर के प्रकरण क्रमांक 21/अ-6/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 19-01-2017 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 30-03-2017 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 4. नायब तहसीलदार के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित जिला कलेक्टर है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर दमोह के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।	

5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर दमोह को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 18-03-2019 को इस आदेश की सत्यप्रतिलिपि लेकर कलेक्टर दमोह के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर दमोह के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

25/01/19

(आर.के. जैन)
सदस्य